

कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नज़ारत अनुभाग),  
जनपद न्यायालय, हाथरस।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस में उपलब्ध राजकीय वाहन संख्या यूपी 70 एजी 0598, होण्डा सिटी को नीलाम किया जाना है। उक्त वाहन की नीलामी हेतु दिनांक 09.11.2022 दिन बुधवार, समय सायं 04:30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष, जनपद न्यायालय, हाथरस में नीलामी की बोली बोलने हेतु नियत की गयी है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में उपस्थित हों।

इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित होकर जमानत धनराशि (रु० 20,000.00) जमा किया जाना सुनिश्चित करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट <http://www.allahabadhighcourt.in>, एनआईसी, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट <https://hathras.nic.in>, जनपद न्यायालय, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/hathras> एवं केन्द्रीय नज़ारत, हाथरस से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक: 15.10.2022

(त्रिलोक पाल सिंह)

सदस्य, नीलामी समिति /

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम)  
हाथरस।

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित

जनपद न्यायाधीश,


हाथरस।  
15.10.2022

**कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),**  
**जनपद न्यायालय, हाथरस।**

नीलामी की आवश्यक शर्तें :-


01. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें। अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
02. प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रु० 20,000.00 की धनराश नकद रूप से जमा करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों/बोलीदाता की बोली अस्वीकृत होगी, उसकी उक्त जमानत धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
03. नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा, जोकि उक्त जमानत धनराशि जमा करेगा।
04. नीलाम होने वाले वाहन को नीलामी से एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 10.10.2022 को कार्यालय समय में देखा जा सकता है।
05. बोलीदाता का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त वाहन का निरीक्षण कर ले।
06. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली (उच्चतम बोली) स्वीकार की जायेगी उसे बोली की 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, यदि निर्धारित धनराशि तुरन्त जमा नहीं की गई तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत जब्त की ली जायेगी।
07. सक्षम अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर उच्चतम बोली बोलने वाले को शेष धनराशि 03 दिवस में जमा करनी होगी अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी व वाहन की पुनः नीलामी की जायेगी।
08. वाहन की अन्तिम बोली जब तक माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती तब तक वाहन जनपद न्यायालय परिसर में ही रहेगा। क्रेता अपने संतोष के लिये वाहन की देख-रेख कर सकता है, बाद में वाहन के बारे में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
09. वाहन जहाँ है, जैसा है, की स्थिति में नीलाम होगा।
10. नीलाम किये गये वाहन को उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को तभी दिया जायेगा जबकि उसने वाहन का पूरा भुगतान कर दिया हो और विभाग से वाहन ले जाने की अनुमति ले ली हो।
11. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह जनपद न्यायालय के नाम का प्रयोग किसी भी प्रकार से नहीं करेगा तथा यदि वाहन को नष्ट करना/स्क्रेप क रूप में प्रयोग करना चाहता है तो इसकी भी सूचना नियमानुसार सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रदान करेगा।
12. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति नीलाम वाहन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, यदि भविष्य में कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. उपरोक्त नीलामी शर्तों के विषय में यदि कोई विवाद उठता है तो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
14. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार, हाथरस होगा।
15. नियमानुसार अन्य कर नीलामी जिसके पक्ष में हुई है, के द्वारा देय होगा।
16. वाहन का न्यूनतम निर्धारित मूल्य नीलामी के समय बताया जायेगा।

17. प्रत्येक बोलीदाता को आधार कार्ड दाखिल करना अनिवार्य है।  
18. कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु नीलामी में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

  
15.10.2022  
(त्रिलोक पाल सिंह)  
सदस्य, नीलामी समिति /  
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम)  
हाथरस।

**प्रतिलिपि-**

1. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. मुंसिफी हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नगर पालिका, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. मुनादी कराये जाने हेतु।
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. तहसील हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

  
15.10.2022  
(त्रिलोक पाल सिंह)  
सदस्य, नीलामी समिति /  
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम)  
हाथरस।